2023/104

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री शम्मी कुमार पुत्र श्री ढालूराम खत्री
निवासी ए / 404 मईशा रेजीडेन्सी,
समा–सावली रोड, अम्बे स्कूल के पास वेमाली
बडोदरा।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 13 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.06.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 11.04.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड कार्यालय आबूरोड में दिनांक 10.02.2023 को रजिस्टर्ड पोस्ट से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के अन्तर्गत आवेदन किया था, उस पर क्या कार्यवाही हुई एवं उक्त आवेदन प्राप्ति के समय कार्यालय में पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी का नाम एवं उस अधिकारी द्वारा उपखण्ड कार्यालय आबूरोड में पद ग्रहण कब किया एवं उक्त कार्यालय से पदमुक्त कब हुए एवं वर्तमान में किस शहर एवं कार्यालय में सेवारत है, उस शहर एवं कार्यालय का नाम एवं दिनांक 11.04.2022 को उपखण्ड कार्यालय आबूरोड में ग्राम चन्द्रावती में स्थित खसरा नं. 338 / 2, 338 / 4, 402, 403, 404 / 2 तथा अन्य रिको एरिया में स्थित भूखण्डों पर कार्यवाही हेतु निवेदन पत्र दिया था, उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 11.04.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड कार्यालय आबूरोड में दिनांक 10.02.2023 को रजिस्टर्ड पोस्ट से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के अन्तर्गत आवेदन किया था, उस पर क्या कार्यवाही हुई एवं उक्त आवेदन प्राप्ति के समय कार्यालय में पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी का नाम एवं उस अधिकारी द्वारा उपखण्ड कार्यालय आबूरोड में पद ग्रहण कब किया एवं उक्त कार्यालय से पदमुक्त कब हुए एवं वर्तमान में किस शहर एवं कार्यालय में सेवारत है, उस शहर एवं कार्यालय का नाम एवं दिनांक 11.04.2022 को उपखण्ड कार्यालय आबूरोड में ग्राम चन्द्रावती में स्थित खसरा नं. 338 / 2, 338 / 4, 402, 403, 404 / 2 तथा अन्य रिको एरिया में स्थित भूखण्डों पर कार्यवाही हेतु निवेदन पत्र दिया था, उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अ[illegible]रोड द्वारा उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में जरिए पत्र क्रमांक [illegible] दिनांक [illegible]2023 द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः ऐसी [illegible] की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) (डॉ. भंवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:35:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner